



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 21.11.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 326/2024 धारा 103(1) / 238 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.11.2024 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर-कोटरा मार्ग पर दौलत वाली पुलिया के निकट एक व्यक्ति का करीब 80 % जला हुआ शव बरामद हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलित किये गये। मृतक की पहचान ऋषिपाल (उम्र करीब 50 वर्ष) पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम पीपलसाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। दिनांक 12.11.2024 को समय करीब 14.30 बजे मृतक ऋषिपाल घर से गया था। इस सम्बंध में मृतक के पुत्र अर्पित द्वारा अपने मौसेरे भाई विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौ0 आजाद कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 326/2024 धारा 103(1) / 238 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त घटना में 02 अन्य अभियुक्तगण 1.अंकुर पुत्र कृष्णपाल सिंह व 2.विपिन पुत्र रामचरन निवासीगण मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम भी प्रकाश में आये।



कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त विपिन पुत्र रामचरन निवासीगण मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को मृतक के मोबाइल का सिम सहित गिरफ्तार किया गया।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में वांछित / प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौ0 आजाद कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.अंकुर पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

विपिन पुत्र रामचरन निवासीगण मौ0 आजाद नगर कॉलोनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मृतक के मोबाइल का सिम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.थाना प्रभारी हरिओम सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 सरवेज खां थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी 2499 रिन्कु थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 21.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 607/2024 धारा 64 बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.11.2024 को वादिया ने थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नीरज पुत्र अशोक नि0 मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर द्वारा पिछले दो साल से वादिनी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया । तहरीर के आधार थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 607/2024 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में



धारा 69 बीएनएस का लोप कर धारा 64 बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज पुत्र अशोक नि0 मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

नीरज पुत्र अशोक नि0 मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर

आपराधिक इतिहास नीरज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 417/2024 धारा 299,352 बीएनएस व 67 आई टी एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 607/2024 धारा 64 बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थाना प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर बिजनौर
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर
3. का0 2592 सुमित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 21.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 571/2024 धारा 191(2)/190/109/115(2)/329(3) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.10.2024 को वादी फकरुद्दीन पुत्र श्री बदरुद्दीन निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी का चांदपुर-धनौरा रोड पर स्थित है । दिनांक 22.10.2024 को अभियुक्तगण 1.शाहिद उर्फ पप्पू 2.बब्लू 3.उवैश 4.शेखर व तीन व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिससे वादी को गंभीर चोटें आयी । अभियुक्तगण उपरोक्त वादी की आराजी पर अवैध निर्माण कर रहे थे । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 571/2024 धारा



191(2)/190/109/115(2)/329(3) बीएनएस बनाम शाहिद उर्फ पप्पू आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहिद उर्फ पप्पू पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 कटारमल कस्बा व थाना चाँदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- दिनांक 23.10.2024 को उपरोक्त अभियोग में प्रकाश मे आए अभियुक्त 1.अकरम पुत्र मुस्तकीम अहमद निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 2. मौ0 सैफ पुत्र मुनव्वर सिंह नि0 ग्राम मुबारकपुर कलां थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

शाहिद उर्फ पप्पू पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 कटारमल कस्बा व थाना चाँदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1191 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 21.11.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा 04 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर तीन घटनाओं को किया अनावरण ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.11.2024 को वादी श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखलाल सिंह नि० ग्राम नवादा चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मो०सा० न०-UP23U5646 को जय फार्म मण्डप नूरपुर रोड से चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 391/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 20.11.24 को वादी चन्द्रभान सिंह पुत्र शिवनाथ नि० मौ० शेखान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मो०सा० HF डीलक्स नं० UP20BH4237 पर सवार होकर वादी के हाथ से मोबाइल छीनने का प्रयास किया लेकिन छीन नहीं पाए व मौके से भाग गये । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 392/24 धारा 304/62 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 20.11.2024 को वादी राशीद पुत्र शाबीर नि० ग्राम कृतो नंगली कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 18.11.2024 को अज्ञात चोर द्वारा सरकारी अस्पताल के बाहर से वादी की मो०सा० HF डीलक्स चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 256/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र मुन्नु सिंह नि० ग्राम खूरमपुर खडक थाना कोतावली देहात जनपद बिजनौर 2. हिमांशु पुत्र धर्मपाल सिंह नि० ग्राम नकीबपूर खजूरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर 3. पुनित पुत्र तुलाराम नि० ग्राम बरकातपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 4. रिहान पुत्र इकबाल नि० मौ० नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र मुन्नु सिंह नि० ग्राम खूरमपुर खडक थाना कोतावली देहात जनपद बिजनौर 2. हिमांशु पुत्र धर्मपाल सिंह नि० ग्राम नकीबपूर खजूरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर 3. पुनित पुत्र तुलाराम नि० ग्राम बरकातपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 4. रिहान पुत्र इकबाल नि० मौ० नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मोटर साईकिल एच एफ डीलक्स ,रजि० न० UP20 BH4237 (इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 392/24 धारा 304/62 बीएनएस पंजीकृत है ।) व मो०सा० हीरो स्पलेंडर बिना नम्बर प्लेट (इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 391/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।) सहित गिरफ्तार किया गया तथा मो०सा० HF डीलक्स बिना नम्बर प्लेट जो कि थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु०अ०सं० 256/2024 धारा 303(2) बीएनएस में वादी को मोबाइल फोन छीनने में प्रयुक्त की गयी थी , बरामद की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान बताया अभियुक्तगण ने बताया कि हम चारों ने योजना बनाकर एक राय होकर दिनांक 18.11.2024 को रात्रि में एक मोटर साईकिल नं० UP23U5646 नूरपुर रोड जय फार्म मंडप से व उसी दिन एक मोटर साईकिल कोतवाली देहात से चोरी की थी और हम मोटर साईकिल को चोरी करके अपना खर्चा चलाने के लिये दस हजार रुपये में बेच देते हैं और हम इन्ही तीनों मोटर साईकिल से आने जाने वाले लोगों का मोबाइल भी छीन लेते हैं । हमने कस्बा नहतौर बाजार में दिनांक



18.11.2024 को ही एक व्यक्ति से मोबाईल छीनने का प्रयास किया था लेकिन छीन नहीं पाये थे । आज हम इन चोरी की मोटरसाईकिल को बेचने के लिये जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहित पुत्र मुन्नु सिंह नि0 ग्राम खूरमपुर खडक थाना कोतावली देहात जनपद बिजनौर
2. हिमांशु पुत्र धर्मपाल सिंह नि0 ग्राम नकीबपुर खजूरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. पुनित पुत्र तुलाराम नि0 ग्राम बरकातपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर
4. रिहान पुत्र इकबाल नि0 मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

1. मो0सा0 हीरो स्पलेंडर बिना नम्बर प्लेट, चैसिस नं0 MBLHA10CGHK80520, इन्जन नं0 HA10ERGHK72559,
2. मो0सा0 HF डीलेक्स बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0 MBLHA11ACE9D08924, इन्जन नं0 HA11EGE9D14192,
3. मोटर साईकिल एच एफ डीलेक्स ,रजि0 नं0 UP 20BH4237 इन्जन नं0 HA11ENGMG045 61 व चैसिस नं0 MBLHA7153JHG04196.

आपराधिक इतिहास अभि0 मोहित उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 256/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 हिमांशु उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 256/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 पुनित उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 256/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 रिहान उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 251/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 भादवि थाना नहतौर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 258/2023 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर बिजनौर
3. मु0अ0सं0 323/2024 धारा 303(2)/317(2) भादवि थाना नहतौर बिजनौर
4. मु0अ0सं0 454/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर बिजनौर
5. मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 256/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 496 नरेश पूनिया थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का0 1813 आदित्य मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. का0 749 राजदीप थाना थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 21.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने 02 शातिर चोरो को चोरी किए गए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.11.2024 को वादिया कमलेश पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम शादीकाबाद उर्फ साफताबाद थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी के घर में रखी सेफ अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे चाँदी के जेवर व नये पुराने कपड़े तथा 2,000 रुपये चोरी कर लिये हैं। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 394/24 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1. अली खान पुत्र कमाल 2. अरमान पुत्र शारून निवासी गण मौहल्ला मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. अली खान पुत्र कमाल व 2. अरमान पुत्र शारून निवासी गण मौहल्ला मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी किए गए 1. तीन जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 2. एक मंगलसूत्र सफेद धातु, 3. एक अंगूठी सफेद धातु, 4. कुल 1400 रुपये नगद (500 के 2 व 100 के 4 नोट, कुल 1400 रुपये) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों ने मिलकर दो दिन पहले अपने ही गाँव के एक घर से चोरी की थी। जिसमें हमें लगभग दो हजार रुपये व कुछ चाँदी का सामान मिला था। चोरी में मिला चाँदी का सामान व रुपये हमने आपस में बाँट लिये थे तथा कुछ रुपये हमने खाने पीने में खर्च कर दिये थे।

बरामदगी का विवरण -

1. तीन जोड़ी पाजेब सफेद धातु,
2. एक मंगलसूत्र सफेद धातु,
3. एक अंगूठी सफेद धातु,
4. कुल 1400 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अली खान पुत्र कमाल निवासी मौ0 मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
2. अरमान पुत्र शारून निवासी गण मौहल्ला मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अली खान उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 211/2015 धारा 380/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
2. मु0अ0सं0 215/2015 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
3. मु0अ0सं0 257/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
4. मु0अ0सं0 101/2017 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
5. मु0अ0सं0 141/2017 धारा 354/376 भादवि व 3/4 व 7/8 पोक्सो एक्ट बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
6. मु0अ0सं0 394/24 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 अरमान उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 463/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
2. मु0अ0सं0 394/24 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 496 नरेश पूनिया थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का0 1813 आदित्य मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. का0 1345 विक्रान्त राणा थाना थाना नहतौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 21.11.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2023 को वादिनी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वादिनी के पति शाहिद पुत्र नत्थू खां निवासी ग्राम हाजीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के बेटे गुलफाम को चाकू मार दिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 55/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-1, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 55/23 धारा 302 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शाहिद पुत्र नत्थू खां निवासी ग्राम हाजीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर उपरोक्त को आजीवन कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- शाहिद पुत्र नत्थू खां निवासी ग्राम हाजीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 21.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2023 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त जमाल उर्फ छोटू पुत्र शमशेर निवासी ग्राम बसेडा थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर को 800 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 584/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम जमाल उर्फ छोटू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.11.2024 को मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधी और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम) जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 584/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त जमाल उर्फ छोटू उपरोक्त को 01 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

जमाल उर्फ छोटू पुत्र शमशेर निवासी ग्राम बसेडा थाना छपार जनपद मुजफ्फर नगर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 21.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने गोकशी की घटना में संलिप्त अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में अवैध शस्त्र, 01 मोबाइल व 01 मोटरसाईकिल पैशन प्रो सहित किया बरामद ।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 21.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मौ० कटारमल कस्बा व थाना चांदपुर निवासी कफील पुत्र अकील जो थाना चांदपुर के मु०अ०सं० 603/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि० व 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा है। उपरोक्त अभियुक्त इस समय नूरपुर इस्माईलपुर रोड़ से नफीस के बाग में आ रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और देखा कि कफील उपरोक्त मोटर साईकिल से बाग में आ रहा है, जो पुलिस टीम को देखकर अपनी मोटर साईकिल को एकदम से पीछे मोड़कर भागने के दौरान मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गया। अभियुक्त द्वारा तुरन्त उठकर पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त कफील के पैर में गोली लगी।



घायल कफील अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस मय 01 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल व एक मोटर साईकिल पैशन प्रो बरामद हुई। इस संबंध में थाना चांदपुर पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

स्थानीय पुलिस द्वारा मु०अं०सं० 603/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभि० शाहनवाज उर्फ मुन्ना पुत्र इस्लाम नि० मौ० पतियापाडा हल्दौर रोड थाना चांदपुर जपनद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कफील पुत्र अकील नि० मौ० कटारमल कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी –

०१ अवैध तमंचा ३१५ बोर मय ०१ जिन्दा व ०१ खोखा कारतूस ३१५ बोर, ०१ मोबाईल वीवो कम्पनी रंग नीला तथा एक मोटरसाइकिल पेशन प्रो ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

मु०अ०सं० २२९/२० धारा २९९ नगर पालिका अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

मु०अ०सं० ६०३/२४ धारा ३/५/८ गौवध अधिनियम, १०९ बीएनएस व ३/२५/२७ आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- १.श्री पुष्कर मेहरा, थानाध्यक्ष चांदपुर जनपद बिजनौर
- २.उ०नि० श्री अजीत थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- ३.का० ११५४ चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- ४.कां० २०७० मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- ५.कां० ९६३ अर्जुन तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- ६.कां० ६७१ जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- ७.कां० २५९२ सुमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर